न्यायालय जिला कलक्टर, झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारीः—डॉ0 अरूण गर्ग
आई.ए.एस.

प्रथम अपील संख्याः— 468/2025

श्री संदीप कुमार, ग्रा0पो0 हनुमानपुरा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं, पिन कोड 333704, मो0न0 9509096510

बनाम

लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं।

——

सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रस्तुत प्रथम अपील

——

आदेश

दिनांक 17.11.2025

1. पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी (अपीलार्थी) द्वारा यह प्रथम अपील प्रार्थना पत्र सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत दिनांक 04.11.2025 को इस न्यायालय में प्राप्त होने पर प्रथम अपील मिसल नम्बर 468/2025 पर दिनांक 04.11.2025 को दर्ज की गई। अपीलार्थी द्वारा उक्त अपील लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं के विरूद्व पेश की गई है।
2. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं को प्रस्तुत कर आवेदन पत्र में वर्णित सूचना चाही गई।
3. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं से इस कार्यालय के पत्रांक पाठक/2025/4849—850 दिनांक 04.11.2025 द्वारा तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गयी थी।
4. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/रीडर/2025/1028 दिनांक 13.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे आवेदक श्री संदीप कुमार निवासी हनुमानपुरा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं का ऑनलाईन आवेदन इस कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। आवेदक नियमानुसार कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। अतः अपीलार्थी का प्रथम अपील का प्रार्थना पत्र खारीज किये जाने की कृपा करे।
5. अपीलार्थी सुनवाई हेतु उपस्थित नही।
6. लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार) झुंझुनूं ने पत्रांक सू0अ0/रीडर/2025/1028 दिनांक 13.11.2025 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उनवानी प्रकरण मे आवेदक श्री संदीप कुमार निवासी हनुमानपुरा, तहसील मण्डावा, जिला झुंझुनूं का ऑनलाईन आवेदन उनके कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है। आवेदक नियमानुसार कार्यालय मे सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत आवेदन करता है तो उन्हे नियमानुसार सूचना उपलब्ध करवा दी जावेगी। चूंकि आवेदक का आवेदन पत्र लोक सूचना अधिकारी के कार्यालय मे प्राप्त नही हुआ है जिसके कारण प्रार्थी को सूचना दी जानी संभव नही है। अतः अपीलार्थी का अपील प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं होने से खारीज किया जाता है।
7. अपीलार्थी को यह भी सूचित किया जाता है कि आप इसकी द्वितीय अपील माननीय राज्य सूचना आयोग जयपुर के यहां निर्धारित समयावधि में कर सकते है।

आदेश आज दिनांक 17.11.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ0 अरूण गर्ग)
जिला कलक्टर, झुंझुनूं
जिला कलक्टर झुंझुनूं